

From

Director Higher Education, Haryana,  
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To,

All the Principals of Govt. Colleges in the State of Haryana.

Memo No. KW 1/59-2018 Ad (3)

Dated, Panchkula, the 06-9-19

**Subject :** नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किये जाने बारे।

\*\*\*\*\*

Kindly refer to the subject cited above.

I have been directed to forward you a copy of letter No. 6/2/1989-2NGIS dated 21.8.2019 with the request to send the required detail to this office till 05:00 P.M. today i.e. 06.9.2019 on this Email I.D. [hecbudget@gmail.com](mailto:hecbudget@gmail.com)

Supdt. Administration  
for Director Higher Education,  
Haryana, Panchkula.  
dated Panchkula

Endst. No. Even

A copy of the above is forwarded to Superintendent Accounts of this office with the request to compile the reports and send it to Under Secretary Protocol O/o Chief Secretary to Govt. Haryana on their Email. I.D. i.e. [ngiscs2013@gmail.com](mailto:ngiscs2013@gmail.com) till Monday i.e. 09.9.2019.

Supdt. Administration  
for Director Higher Education,  
Haryana, Panchkula.

Acs Higher Edm

452 AD(G)  
31/9/19

अति आवश्यक  
तिथिबद्ध

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 अगस्त, 2019

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019, 12-07-2019 तथा 30.07.2019 की ओर दिलाते हुए सूचित करूँ कि सरकार द्वारा वांछित सूचना कुछ विभागाध्यक्षों को छोड़कर आप की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (कुछ विभागाध्यक्षों को छोड़कर) । अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 तक) (मासिक तौर पर) 28-08-2019 तक संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई-मेल [ngiscs2013@gmail.com](mailto:ngiscs2013@gmail.com) पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें ।

*Skhan*

अवर सचिव, प्रोटोकोल  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

*Skhan*

अवर सचिव, प्रोटोकोल  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,  
हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0  
पू0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 अगस्त, 2019  
दिनांक, चण्डीगढ़ 21 अगस्त, 2019

जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

*Skhan*

अवर सचिव, प्रोटोकोल  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।